

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पुखराज पिता मांगीलाल जागेटिया निवासी कपासन हाल सलूमबर
बनाम

अशोक कुमार पिता शंकरलाल जागेटिया निवासी कपासन वगैरा

कार्यवाही :- अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956
प्रकरण संख्या 72/2022 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी हाजिर। वकील प्रत्यर्थी हाजिर नहीं। पूर्व में प्रत्यर्थीगण की ओर से जवाब पेश किया गया जो शा. पत्रावली है। रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल दिलवाई जा चुकी है। पूर्व में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.09.2023 को प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विद्वाँ हेतु मय नोटरीशुदा शपथ-पत्र तादादी रुपये 100/- अक्षरे सौ रुपये मात्र का पेश किया जो शामिल पत्रावली है। रिकार्ड पर लिया जाता है। अपीलार्थी स्वयं अपनी अपील नहीं चलाना चाहता है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विद्वाँ को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् कार्यवाही विद्वाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 05.09.2023 को स्वीकार किया जाता है। फलतः अपील अपीलार्थी विद्वाँल में खारीज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> 	